न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 142/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 28.12.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. बाबूलाल आत्मज रामनिवास जाति तेली निवासी ग्राम नैनवां, जिला बूंदी

...अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां, जिला बून्दी
2 ललित कुमार
3 मुकेश कुमार
4 सुरेन्द्र कुमार
पिसरान रमेश कुमार जाति महाजन, निवासीगण ग्राम नैनवां, तह0 नैनवां, जिला बूंदी

...रेस्पोडेन्टस

उपस्थित : श्री रमेश राठौर अभिभाषक अपीलाट
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता रेस्पोडेन्ट्स कम–2 ता 4

निर्णय

दिनांक 03.03.2020

अपीलार्थी ने सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग), बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या क्र/एडीएम/भू0अवा0/17/476 आदेश दिनांक 28.03.2017 से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग), बूंदी द्वारा नैनवा का खसरा सं0 584 में रकबा 0.019 है0 अधिसूचना 3डी के अनुसार अपीलांट बाबूलाल पुत्र रामनिवास तेली की अवाप्ति में मुआवजे 16,392 रू0 का भुगतान अपीलांट बाबूलाल पुत्र रामनिवास तेली को किये जाने के पश्चात् तहसीलदार (भू0अ0), नैनवां जिला बूंदी की जांच रिपोर्ट अनुसार अवाप्ति में खसरा सं0 6089/584 में से रकबा 0.019 है0 अवाप्त किये जाने पर उक्त रकबा ललित कुमार, मुकेश कुमार व सुरेन्द्र कुमार पुत्र रमेश कुमार महाजन का होने से मुआवजा उनको दिये जाने के फलस्वरूप नामन्तरकरण संख्या 4148 दिनांक 20.01.2016 को निरस्त करते हुए उक्त रकबा खातेदार बाबूलाल पुत्र रामनिवास तेली के खाते दर्ज कर एवं खसरां सं0 6089/584 के खातेदार के खाते में से रकबा 0.019 है0 का नामान्तरकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के नाम दर्ज कर नामान्तकरण के आदेश तहसीलदार (भू0अ0), नैनवा को प्रदान किये गये। जिससे व्यथीत होकर अपीलांट द्वारा अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय से पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदार की ग्राम नैनवा में खसरां सं0 382 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 584 रकबा 0.07 बिस्वा, खसरा

सं0 600 रकबा 11 बिस्वा कुल 3 किता की 24 बीघा 8 बिस्वा आराजी स्थित हैं। खसरा सं0 584 रकबा 0.07 बिस्वा आराजी में से 0.02 बिस्वा भूमि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भूमि अधिग्रहण करने से इंतकाल सं0 4148 दिनांक 20.01.2016 से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नाम दर्ज हो गई, जिसका नियमानुसार मुआवजा भी अपीलांट को प्रदान किया गया परंतु फिर भी बिना किसी सूचना, जांच व जानकारी के अपीलाधीन आदेश से इंतकाल संख्या 4148 को निरस्त करने का आदेश प्रदान किया गया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय हैं। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा द्वारा दिनांक 04.10.2016 को ललित कुमार, मुकेश कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार पिसरान रमेश कुमार महाजन के पक्ष में अपीलांट की आराजी खसरां सं0 584 के संबंध में त्रुटिपूर्ण आदेश प्रदान किये जाने पर उक्त आशय की अपील न्यायलय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा में प्रस्तुत करने पर दिनांक 24.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की आराजी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग द्वारा प्रस्तावित राजमार्ग से लगवां होने तथा राजमार्ग में अपीलांट की आराजी शामिल होने पर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा सं0 584 रकबा 0.07 बिस्वा आराजी में से 0.02 बिस्वा भूमि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भूमि अधिग्रहण करने से इंतकाल सं0 4148 दिनांक 20.01.2016 से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नाम दर्ज होने के उपरांत नियमानुसार मुआवजा भी अपीलांट को प्रदान किया गया परंतु फिर भी बिना किसी सूचना, जांच व जानकारी के अपीलाधीन आदेश से इंतकाल संख्या 4148 को निरस्त करने का आदेश प्रदान किया गया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय हैं। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा द्वारा दिनांक 04.10.2016 को ललित कुमार, मुकेश कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार पिसरान रमेश कुमार महाजन के पक्ष में अपीलांट की आराजी खसरां सं0 584 के संबंध में त्रुटिपूर्ण आदेश प्रदान किये जाने पर उक्त आशय की अपील न्यायलय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा में प्रस्तुत करने पर दिनांक 24.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड की गई। अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर जेरअपील निर्णय दिनांक 28.03.2017 अपास्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–2 ता 4 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग), बूंदी द्वारा तहसीलदार (भू0अ0) को प्रेषित पत्रांक एडीएम/भू0अवा0/17/476 दिनांक 28.03.2017 दिनांक 28.03.2017 अपीलीय नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य हैं। नामन्तरकरण होने के स्थिति में ही अपील पेश की जा सकती है। अतः अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है, डिले कन्डोन हेतु धारा 5 परिसीमन अधिनियम का प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 की ओर से प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र का खण्डन नहीं किया गया और न हीं खण्डन में कोई साक्ष्य/सबूत पेश किये गये। अतः न्यायहीत में अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा सं0 584 रकबा 0.07 बिस्वा आराजी में से 0.02 बिस्वा भूमि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भूमि अधिग्रहण करने से

इंतकाल सं0 4148 दिनांक 20.01.2016 से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नाम दर्ज होने के उपरांत नियमानुसार मुआवजा भी अपीलांट को प्रदान किया गया परंतु फिर भी बिना किसी सूचना, जांच व जानकारी के अपीलाधीन आदेश से इंतकाल संख्या 4148 को निरस्त करने का आदेश दिनांक 28.03.2017 प्रदान किया गया, जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्त किया जावे। उक्त वर्णित तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपीलांट का उपरोक्त तर्क आधारहीन है। अपीलांट द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग), बूंदी द्वारा तहसीलदार (भू0अ0) को प्रेषित पत्रांक एडीएम/भू0अवा0/17/476 दिनांक 28.03.2017 की अपील न्यायालय हाजा में पेश की है। उक्त आदेश/पत्रांक एक प्रशासनिक आदेश है। जिसकी अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में मेन्टेनेबल योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट मेन्टेनेबल नहीं होने से प्रशासनिक पत्रांक/आदेश दिनांक 28.03.2017 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। पक्षकार उक्तानुसार सक्षम न्यायालय/कार्यालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

8 निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा